न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00020

उनवान

1. कौशलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेशचन्द आयु 17 साल नाबालिक जरिये माता खुद गंगा देवी पत्नि सुरेशचन्द जाति जाट ग्राम अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. श्रीमती गंगादेवी पत्नि सुरेश चन्द जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्रभू पुत्र श्री नत्थी जाति जाट निवासी ग्राम अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. श्रीमान् सब रजिस्टार महोदय नदबई।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 23.03.2017 उनवानी कौशलेन्द्र सिंह बनाम प्रभू सिंह मु0न0 01/15

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 13.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई, अपीलाण्ट/प्रार्थीगण एवं रैस्पो0/अप्रार्थी की पैतृक आराजी है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी के इन्द्राजात रैस्पो0/अप्रार्थी के नाम चले आ रहे हैं। चूंकि रैस्पो0/अप्रार्थी एक बदचलन एवं शराबी किस्म का व्यक्ति है, जो आये दिन विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है। जिससे अपीलाण्ट/प्रार्थीगण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रैस्पो0/अप्रार्थी को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं 2060 एवं जमाबन्दी संवत 2010 पेश किये हैं, जिसमें साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, रैस्पो0 की स्वःअर्जित सम्पत्ति नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज ही पेश किया है, जिससे यह सबित होता हो कि विवादित आराजी रैस्पो0 की स्वः अर्जित आराजी हो। परन्तु फिर भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को बिना किसी दस्तावेज के रैस्पो0 की स्वःअर्जित आराजी मानने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है और इस विवादित आराजी में अपीलाण्ट को विरासतन पूर्ण रूप से हक निहित है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई कब्जा काश्त नहीं है, विवादित आराजी का बॅटवारा हो चुका है एवं उनके वारिसान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। महज जमाबन्दी में रैस्पो0 के खातेदारी इन्द्राज है, जो गलत है अतः रैस्पो0 के हक में प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर, आर0आर0डी0 1981 पेज 512, 1978 पेज 375(डी0बी0), 1982 पेज 493, 1993 पेज 343, 1990 पेज 32, ए0आई0आर0 1992 पेज 1254(एस0सी0), आर0आर0टी0 2014(1) पेज 590, 2003(1) पेज 373, आर0बी0जे0 2005 पेज 405, 2010 पेज 178 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर, रैस्पो0 को ताफैसला वाद, अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। विवादित आराजी रैस्पो0 को जमींदारी उन्मूलन के समय प्राप्त हुई है अतः रैस्पो0 की स्वः अर्जित सम्पत्ति है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसके अतरिक्त अपीलाण्ट का पिता सुरेश अभी जीवित है एवं विवादित आराजी में उसका हिस्सा अभी तय नहीं हुआ है एवं पिता के जीवित रहते, पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। अपीलाण्ट ने सभी सह–खातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः वाद Non Joinder of party के दोष से भी ग्रसित है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2009(1) पेज 162, आर0बी0जे0 2005 पेज 87, डी0एन0जे0(राज0) 2013(2) पेज 626, आर0आर0डी0 1998 पेज 79 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। हम पाते हैं कि ''अभिधारियों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का उत्तराधिकार'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 अनुसार **कृषक की मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकार** सृजित होता है; निर्वसीयत होने की दशा में उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यागत होता है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का खातेदार अभी जीवित है। इसके अतिरिक्त हमने उभयपक्ष की ओर से अपने–अपने कथनों की पुष्टि में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की ओर भी गौर किया। अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पिता व पुत्र के मध्य विवाद होने बाबत् हैं; किन्तु हस्तगत प्रकरण में दादा व पोते के मध्य विवाद है। दूसरी तरफ अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त दादा व पोते के मध्य विवाद से संबंधित है एवं अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो से पश्चात्वर्ती एवं उच्चत्तम न्यायालय की हैं। रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरों में दादा की भूमि में पौत्र को अधिकार सृजित नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरो के पक्ष व परिस्थितिया, इस प्रकरण से भिन्न हैं तथा इनसे अपीलाण्ट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 301 में वर्णित विवादित आराजी में रैस्पो0 प्रभूदयाल पुत्र नत्थी कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से, वर्तमान स्थिति में हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा उचित नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया स्वत्व नहीं बनता है। अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय दिनांक 23.03.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर